

नहीं करने का आरोप लगाया गया। उक्त आरोपों के आलोक में अपीलकर्ता ललिता देवी, तत्कालीन सेविका को आदेश ज्ञापांक 2139 दिनांक 05.08.2015 से चयनमुक्त कर दिया गया।

प्रश्नगत वाद के मामले में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के द्वारा ऑगनवाड़ी सेविका ललिता देवी से न तो कारण पूछा की माय की गई और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। यह मार्गदर्शिका की उल्लंघना है एवं वैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के पत्र संख्या 1851 दिनांक 14.10.2016 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि ज्ञापांक 2139 दिनांक 05.08.2015 से निर्गत चयनमुक्ति आदेश त्रुटिपूर्ण एवं मार्गदर्शिका के प्रावधान के विरुद्ध है, इसलिए यह चयनमुक्ति आदेश खारिज करने योग्य है।

अतएव जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के आदेश ज्ञापांक 2139 दिनांक 05.08.2015 को रद्द करते हुए वाद को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना को आदेश दिया जाता है कि पदाधारों को सुनकर नियमानुकूल विधि सम्मत् मुखर आदेश पारित करे।

इसी के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में दिखानी तारीख संकेत

3

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख

1

2

आदेश

प्रस्तुत वाद ललिता देवी, तत्कालीन सेविका, पति-नव किशोर सिंह, ऑगनवाडी केन्द्र - फुलवरिया, टोला, करजान कोड सं०-57, प्रखण्ड-अथमलगोला, जिला-पटना ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के आदेश झापाक 2139/जि०प्र०, पटना दिनांक-05.08.2015 से बयनमुक्त (आदेश) के विरुद्ध u/s 10(7) of Guide Line 2011 के संशोधन आदेश सचिव, समाज कल्याण विभाग, विहार सरकार के संचिका ICDS/50030/22-2012/3226 दिनांक-11.08.2015 के अंतर्गत दिनांक-04.09.2015 को ऑगनवाडी अपील आवेदन दाखिल किया गया है।

अभिलेख परिशीलन किया। दिनांक-02.11.2017 को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रविष्टी के बिन्दु पर सुनकर प्रविष्टी की गई। निम्न न्यायालय के अभिलेख मौजूद हुए अगली तिथि 07.12.2017 निर्धारित की गई। निम्न न्यायालय के अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 06.03.2018 को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 1486/जि०प्र०, पटना दिनांक-08.08.2016 एवं प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, पटना के पत्रांक 1489/विधि दिनांक-23.11.2016 से प्राप्त पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 11063/2016 दाखिल है जिसके Present status की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसके अनुसार 27 फरवरी, 2018 को Case वापस ले लिया गया है।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के आदेश झापाक-2139 दिनांक-05.08.2015 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के पत्रांक-1051/गो० दिनांक-03.08.2015 एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बाढ़ के पत्रा सं०-436 दिनांक-04.08.2015 के आधार पर ऑगनवाडी केन्द्र सं०-57, फुलवरिया, टोला, करजान कई महीनों से बन्द रहने एवं टी.एच.आर. वितरण

पत्रांक 574/11
दिनांक 09-05-2018
प्रतिभा, बाढ़
विभाग परियोजना पदाधिकारी
बाढ़ / जिला
प्रोग्राम पदाधिकारी
पटना को सुना
दिनांक 02-11-2017
को सुना और
अभिलेख में उपलब्ध
कागजातों का अवलोकन
किया।
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
पटना के पत्रांक 1486/जि०प्र०
पटना दिनांक-08.08.2016
एवं प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा, पटना के पत्रांक
1489/विधि दिनांक-23.11.2016
से प्राप्त पत्रों के अवलोकन
से स्पष्ट है कि अपीलार्थी
द्वारा माननीय उच्च न्यायालय,
पटना में CWJC No. 11063/2016
दाखिल है जिसके Present status
की प्रति उपलब्ध करायी गयी है
जिसके अनुसार 27 फरवरी,
2018 को Case वापस ले लिया
गया है।
टी.एच.आर. वितरण